

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-310/2024 दिनांक 04.11.2024)

दिनांक-04.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.11.2024 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 366/2024 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस व 67 आई.टी. एक्ट में वांछित अभियुक्त वसीम अहमद पुत्र सोबराती सा0 झडवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 366/2024 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस व 67 आई.टी. एक्ट थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

वसीम अहमद पुत्र सोबराती सा0 झडवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजप्रकाश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. अपराध निरीक्षक श्री संजय शाही थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अंकित सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 शशि कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. का0 रिषु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 02 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के रोक थाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.11.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटेलाल शाह पुत्र स्वामी नाथ शाह निवासी टेसुआर थाना रसूलपुर जनपद छपरा बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 पेटी देशी शराब बन्टी बबली बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 368/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

छोटेलाल शाह पुत्र स्वामी नाथ शाह निवासी टेसुआर थाना रसूलपुर जनपद छपरा बिहार

बरामदगी विवरण-

02 पेटी अबैध देशी शराब बन्टी बबली

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 शुभम यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 प्रदीप यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 59नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-19 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-57, व्यक्ति-156
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-61)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर